न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) घाटमपुर, कानपुर देहात

मूलवाद सं० 53/2018
UPRN180003142018

किस्मतुन खातून बनाम कृष्ण आदि

दिनांक – 31/07/2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि पत्रावली विगत कई तिथियों से प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर सुनवाई हेतु नियत है। उभय पक्षों को प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, किन्तु उभय पक्षों द्वारा आज भी प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर सुनवाई नहीं कराई जा रही है, जिस कारण मामले के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 6 ग 2 को बल अभाव में निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6 ग 2 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही लंच बाद पेश हो।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

लंच बाद
2.20 बजे

पत्रावली पुनः पेश हुई। पुकार कराई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। उभय पक्षों की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली वास्ते सुनवाई हेतु नियत है। बार बार पुकार कराए जाने पर भी उभय पक्षों की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्ष विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहें है। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्ष अपने वाद को संचालित करने के इच्छुक नहीं है। तदनुसार मूलवाद आदेश 9 नियम 3 के अन्तर्गत उभय पक्षों की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

मूलवाद सं० 53/2018 आदेश 9 नियम 3 के अन्तर्गत उभय पक्षों की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2025.07.31 15:33:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court